यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सख्या : 5/2018

पृथ्वीराज पुत्र गंगाबिशन जाति मीना निवासी तिसाया तह0 मांगरोल जिला बारां ....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) ....अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0एल0आर0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : स्वयं वादी

निर्णय दिनांक : 11.04.2018

दायरा दिनांक: 10.04.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 878/1082 रकबा 1.60 है0 स्थित है। भू-प्रबंध विभाग ने मिसल बन्दोबस्त में खसरा नं0 878/1082 के स्थान पर 778/1082 रकबा 1.60 है0 अंकित कर दिया जबकि राजस्व नक्शे में 878/1082 ही अंकित है जो सही है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसका पुराना नं0 642 का तथा 642 का नया 878/1082, 878/1082, 878/1083 आदि अंकित किया है। परन्तु मिलान क्षेत्रफल में सहवन से 878/1082 के स्थान पर 778/1082 अंकित कर दिया जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में बदस्तूर है। इस प्रकार बन्दोबस्त की उस त्रुटि प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जमाबंदी में खसरा नं0 778/1082 रकबा 1.60 है0 के स्थान पर खसरा नं0 878/1082 रकबा 1.60 है0 दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 10.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.04.2018 को प्रस्तु की जिसमे तहसीलदार मांगरोल ने अंकन किया कि ग्राम तिसाया तह0 मांगरोल में प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 878/1082 रकबा 1.60 है0। भू-प्रबंध विभाग ने मिसल बन्दोबस्त में खसरा नं0 878/1082 के स्थान पर 778/1082 रकबा 1.60 अंकित कर दिया है। जबकि राजस्व नक्शे में 878/1082 अंकित है जो सही है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसका पुराना खसरा नं0 642 है जिसके नया खसरा नं0 878/1081, 878/1082, 878/1083 अंकित किया है। परन्तु मिसल बन्दोबस्त में सहवन से 878/1082 के स्थान पर 778/1082 दर्ज कर दिया है जो सही नही है। अतः मौका अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त भी 878/1082 पर है एवं राजस्व नक्शे मे भी 878/1082 ही दर्ज है। इस प्रकार 778/1082 के स्थान पर 878/1082 दर्ज किया जाना उचित होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपन्त अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 778/1082 रकबा 1. है0 को भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट सहवन से खसरा नं0 778/1082 रकबा 1.60 है0 के स्थान पर खसरा नं0 878/1082 रकबा 1.60 है0 दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाये। तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के अनुसार मिसल बन्दोबस्त में सहवन से 878/1082 के स्थान पर 778/1082 दर्ज कर दिया है जो सही नही है। अतः मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं अनुशंषा के आधार पर ग्राम तिसाया की वर्तमान राजस्व रेकार्ड मुताबिक जमाबंदी चौशाला सम्वत 2071–74 के खाता सं0 103 में खातेदार पृथ्वीराज पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा सा0देह रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा मांगरोल के नाम से अंकित आराजी खसरा नं0 778/1082 रकबा 1.60 है0 नहरी प्रथम इन्द्राज को हजफ कर नयी प्रविष्टी आराजी खसरा नं0 878/1082 रकबा 1.60 है0 नहरी प्रथम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में र